22/10/2020 पत्रावली पेश हुई। बार-बार अवसर दिये जाने के उपरान्त प्रतिवादिगण की तरफ से समन तामीला पेश नहीं किये गये, जिससे स्पष्ट है कि वादिगण को प्रतिवादिगण की तरफ से सुनवाई पाने के कोई इच्छा नहीं है। अतः पत्रावली तरफी के अभाव में आदेश 9 नियम 5 CPC के प्रावधानों के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार व दर्ज रजिस्टर से पृथक होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.27 11:43:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner